UPM0010098312022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–रेशमा चौधरी, उ0प्र0 पी.सी.एस.जे.–6230

रेगुलर सिविल अपील संख्या–156/2022
संबंधित मूलवाद सं0–328/2012

08.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अपीलार्थीगण अनुपस्थित एवं विपक्षी सं0 1, 2 एवं 3 उपस्थित।

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

(रेशमा चौधरी),
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
मुरादाबाद।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। वाद पुकारा गया। अपीलार्थीगण अनुपस्थित एवं विपक्षी सं0 1, 2 एवं 3 उपस्थित।

आदेश पत्रक के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थीगण विगत कई तिथियों से अनुपस्थित हैं एवं न ही उनकी ओर से पत्रावली में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है। दिनांकित 30.04.2024 को अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, किंतु अपीलार्थीगण आज भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि अपीलार्थीगण इस वाद को चलाने के इच्छुक नहीं हैं तथा प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एवं विपक्षी सं0 1, 2 एवं 3 की उपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रस्तुत सिविल अपील अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एवं विपक्षी सं0 1, 2 एवं 3 की उपस्थिति में निरस्त की जाती है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(रेशमा चौधरी),
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4,
मुरादाबाद।